17/1/17 ~~पत्रावली पेश हुई। वकील~~ पक्षकारान उपस्थित,
~~PO साहब राजकार्य में व्यस्त।~~ पत्रावली
वास्ते बहस के दिनांक 1/4/17 को पेश हो।

25.1.2017 पत्रावली वादी श्री रामस्वरूप के
वकील द्वारा त्वरित सुनवाई करने के
प्रार्थना पत्र ~~पेश~~ पर तलब करने पर
पेश हुई। प्रतिवादी राजस्थान सरकार
की ओर से तहसीलदार उप०। दोनों पक्षों
की बहस सुनी गई। वकील वादी ने
अपनी बहस में भूमि विवादग्रस्त
ख०नं० 271/0.40 हे०, 273/0.02 हे०
खातेदारी की होना बताते हुए ~~ख~~
ख.नं. 162/778 रकबा [illegible] की नकल
जमाबंदी (साबिक) की प्रति पेश
व प्रा०पत्र के पेश की हुई है
तहसीलदार सा० द्वारा धारा 91 की
कार्यवाही करते हुए सजा देने
पर आमादा है अत: कृपया तारीख पेशी
बाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की
जावे। प्रतिवादी तहसीलदार जरिये राज्य
सरकार ने अपनी बहस में धारा
91 से होने वाली ~~[illegible]~~ राजस्व आय
का स्टे जारी होने पर नुकसान
होना बताया।

हमने बहस पर मनन

25/1/17

अनुसार जमाबंदी संवत 2049-52 अनुसार

सालिक ख.नं० 162/778 / 5.20 बीघा भूमि

भीमशंकर s/o रामनाथ कुमार के खाते में

खाता नं० 153 में दर्ज रेकार्ड है।

मुताबिक किसान छोगालाल सालिक ख.नं०

162/778 के कब्जे ख.नं० 275/0.80 व

272/0.02 के है। अतः प्रथम दृष्टया

मामला वादीगण (प्रार्थीगण) जो

कि पूर्व खातेदारान के वारिस है

के पक्ष में पाया गया। अतः प्रार्थना

पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct

स्वीकार करते हुए आदेश दिया

जाता है कि ता फैसला वाद

रेकार्ड व मौके की यथास्थिति

कायम रखी जावे। व धारा 91

की कार्यवाही न की जावे तथा

नहीं बेदखल किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~मिसल~~

नं० दे कम की जाकर ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ मूल दावे के साथ शामिल

की जावे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)